[2021] 1 एस. सी. आर 679

मेसर्स कलमानी टेक्स और अन्य

बनाम

2021 का पी. बालासुब्रमणियन

एम. ए. संख्या 364 आई. एन.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 123)

24 फरवरी, 2021

[एन**.** वी**.** रमना**,** सूर्या कांत और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881:शब्दों को जोड़ना/हटाना-इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2 के निर्णय द्वारा रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी को निर्धारित अवधि के भीतर अर्जित ब्याज के साथ 11, 20,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाए-हालांकि, कहा गया है कि 11,20,000 रुपये की राशि निर्दिष्ट बैंक के गैर-ब्याज अर्जित खाते में पड़ी थी-इसे देखते हुए, "उस पर अर्जित ब्याज के साथ" शब्द हटा दिए गए हैं-रजिस्ट्री को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिवादी को उक्त राशि हस्तांतरित करने का निर्देश जारी करना।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2021 की दांडिक अपील नंबर .123 में 2021 की बिबिध नंबर .364।

मद्रास में उच्च न्यायालय के 09.11.2017 के निर्णय और आदेश से आपराधिक अपील नंबर 447 में 2002 का

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

न्यायालय की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाती है।

23.02.2021 दिनांकित निर्देशों के लिए कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया।

दिनांकित 10/02/2021, निर्णय के माध्यम से, इस न्यायालय ने रजिस्ट्री को दो सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी को अर्जित ब्याज के साथ आई. डी. 11,20,000/- (ग्यारह लाख बीस हजार रुपये) की राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

दिनांक 23.02.2021 की कार्यालय रिपोर्ट में कहा गया है कि Rs.11,20,000/- (ग्यारह लाख बीस हजार रुपये) की राशि 679 ए में पड़ी है। यूको बैंक, सुप्रीम कोर्ट कम्पाउंड, नई दिल्ली में गैर-ब्याज अर्जित खाता।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम उन पर उपार्जित ब्याज के साथ पैराग्राफ 22 "." शब्दों को हटा देते हैं।क्रिमिनल अपील नंबर 2021 की @एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) No.1876/2018 की आपराधिक अपील नंबर.123 में पारित 10.02.2021 के फैसले के पैराग्राफ 22 से और रजिस्ट्री को आज से दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादी को Rs.11,20,000/- (ग्यारह लाख बीस हजार रुपये) की राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दें।

विविध अपील को तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

निधि जैन

विविध अपील को निस्तारित किया गया।